

संसोधित प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 21.09.2020 जनपद देवरिया

दिनांक 20.09.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-

दिनांक 21.09.2020 को कच्ची शराब के विरुद्ध चलाये गये अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 50 व्यक्तियों के कब्जे से कुल 770 लीटर अवैध कच्ची शराब व 173 शीशी बण्टी बबली देशी शराब बरामद करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही किया गया एवं काफी मात्रा में लहन नष्ट किया गया।

02.थाना गौरी बाजार पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त 02 चाकू बरामद करते हुए 03 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

दिनांक 19.09.2020 को वादी लालबचन पुत्र स्व0 धर्मराज पटेल निवासी-बसंतपुर थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया द्वारा उनके पुत्र को दो व्यक्तियों द्वारा अपने एक अन्य साथी अभियुक्त के साथ चाकू से हमला कर घायल करने एवं मारने-पीटने के आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके आधार पर थाना गौरीबाजार पर मु0अ0सं0-260/2020 धारा-269,279,337,324,307,352,504,506 भादंसं का अभियोग दिनांक 19.09.2020 को अभियुक्तगण आस मोहम्मद पुत्र अमानत अंसारी 02.शाहिल पुत्र मुतुर्जा 03.सदाम पुत्र मुतुर्जा निवासीगण-बसंतपुर थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया के विरुद्ध पंजीकृत कर प्रभारी निरीक्षक थाना गोःरीबाजार द्वारा दिनांक 20.09.2020 को अभियुक्तगण शाहिल, सदाम एवं आस मोहम्मद उपरोक्त को ग्राम बाघापार के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शाहिल एवं सदाम के पास से एक-एक अदद घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर इनके विरुद्ध धारा 4/25 आम्स ऐक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 20.09.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 24 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

04. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 20.09.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 216 वाहनों से 175200 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

